दीपक सिब्बल. जे,के समक्ष

तारा चंद-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2001 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 14556

25 फ़रवरी 2015

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 - धारा 5 - हरियाणा अधिशेष और अन्य क्षेत्रों का उपयोग योजना, 1976 - धारा 8-ए- अधिशेष भूमि का आवंटन - याचिकाकर्ता, एक गरीब भूमिहीन हरिजन ने आवंटन के लिए आवेदन दायर किया - आवंटन किया गया 1976 की योजना के तहत याचिकाकर्ता को - माना जाता है कि फॉर्म यूएस 3 में आवंटन का प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया गया था, जैसा कि सीएल में निर्धारित है। 8- योजना का ए - प्रमाण पत्र की प्रति आवंटी या संबंधित तहसीलदार को भेजने का कोई सवाल ही नहीं था - तहसीलदार ने याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की - वर्षों बाद, जब याचिकाकर्ता आया आवंटन के बारे में जानने के बाद, उन्होंने भूमि पर कब्ज़ा मांगा - आवंटन प्राधिकरण ने कब्ज़ा देने से इनकार कर दिया और आवंटन रद्द कर दिया - आयुक्त ने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए विवादित आदेश को रद्द कर दिया और निर्धारित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को फॉर्म यूएस 3 जारी करके आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया - राज्य ने उस आदेश को चुनौती नहीं दी- वित्तीय आयुक्त ने याचिकाकर्ता को कब्ज़ा मांगने में देरी का दोषी ठहराने के बाद निजी उत्तरदाताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया - रिट क्षेत्राधिकार में, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से देरी को एक शर्त के साथ नजरअंदाज करना उचित निर्धारित किया - निष्कर्ष आयुक्त ने कहा कि राज्य प्राधिकारी आवंटन आदेश के बारे में याचिकाकर्ता को सूचित करने के संबंध में प्रक्रिया का पालन करने में अपने कर्तव्यों में बुरी तरह विफल रहे, साथ ही कब्जा देने के लिए कार्यवाही शुरू न करने को भी राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया था - क़ानून आवंटन प्राधिकारी को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने के

लिए - न तो राज्य और न ही निजी उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन पर कभी सवाल उठाया - राज्य या निजी उत्तरदाताओं के लिए किए गए किसी भी पूर्वाग्रह को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी - अधिकारियों को अब याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का कब्ज़ा सौंपने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया - देय अधिकारियों से संपर्क करने में याचिकाकर्ता की ओर से ढिलाई बरतने के लिए, कलेक्टर द्वारा उस तारीख को निर्धारित प्रचलित दर पर आवंटन किया जाना चाहिए जब याचिकाकर्ता ने आवंटित भूमि पर कब्जा पाने के लिए आवेदन किया था।

निर्धारित किया कि भूमि के आवंटन के बाद, आवंटन प्राधिकारी को आवंटी को फॉर्म यूएस-3 में एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा और उसकी एक प्रति संबंधित तहसीलदार को भी भेजनी होगी ताकि तहसीलदार आवंटित जमीन पर कब्जा दिला सके।

यह स्वीकृत स्थिति है कि जैसा कि योजना के नियम 8-ए के तहत आवश्यक है, फॉर्म यूएस-3 में कोई प्रमाणपत्र कभी तैयार नहीं किया गया था और एक बार ऐसा कोई फॉर्म तैयार नहीं किया गया था, तो आवंटिती को इसकी एक प्रति भेजने का कोई सवाल ही नहीं था। यानी याचिकाकर्ता को या संबंधित तहसीलदार को। नतीजतन, तहसीलदार ने याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि पर कब्जा देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में, मैं आयुक्त, अंबाला डिवीजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-8-1999 (अनुलग्नक पी-4) का उल्लेख कर सकता हूं, जिसमें आयुक्त ने रिकॉर्ड
का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि कोई फॉर्म यूएस-3 नहीं था। तैयार किया गया और इसलिए, इसे याचिकाकर्ता या संबंधित तहसीलदार को भेजने का कोई सवाल ही नहीं था।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि 470 कनाल 3 मरला ज़मीन के आवंटन हेतु आवंटन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की संख्या 408 तक थी। संभव है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा सोचा हो उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था. अन्यथा भी, याचिकाकर्ता, जिसे वर्ष 1976 में एक गरीब भूमिहीन हरिजन बताया गया है, उचित रूप से उम्मीद कर सकता था कि उसके आवेदन पर विचार करने पर, उसे कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है और इसलिए अपने चप्पू को आराम देते हुए आगे कोई पूछताछ नहीं की इसके अलावा अभी तक मेरे संज्ञान में राज्य या निजी उत्तरदाताओं द्वार ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है यह दिखाने के लिए कि याचिकाकर्ता को किसी भी पूर्व समय भूमि आवंटित करने के आदेश की जानकारी थी ताकि देरी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके।

(पैरा 6, 7 और 8)

इसके अलावा, उपरोक्त आदेश में यह माना गया है कि राज्य प्राधिकारी याचिकाकर्ता को आवंटन आदेश के बारे में सूचित करने के साथ-साथ वितरण की कार्यवाही शुरू न करने के संबंध में प्रक्रिया का पालन करने के अपने कर्तव्यों में बुरी तरह विफल रहे हैं। उसका कब्ज़ा राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और निजी उत्तरदाताओं ने न तो कोई दलील दी है और न ही उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह दिखाया है, मैं याचिकाकर्ता की ओर से देरी को नजरअंदाज करना उचित समझता हूं।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह माना गया कि अधिनियम आवंटन प्राधिकारी को अपने आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता का आवंटन रद्द करने का आवंटन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भी इस कानूनी दोष से ग्रस्त है। यह भी देखा जा सकता है कि न तो राज्य और न ही निजी उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन पर कभी सवाल उठाया था।

(पैरा 12)

आगे कहा गया कि प्रतिवादी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अब याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का कब्जा सौंपने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ें। आवंटित भूमि पर कब्ज़ा मांगने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारियों से संपर्क करने में ढिलाई के कारण, मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण, मैं यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि याचिकाकर्ता को अब आवंटन आदेश दिनांक 13.9.1976 (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार भूमि आवंटित की जाए लेकिन कलेक्टर द्वारा उस तारीख को निर्धारित प्रचलित दर पर जब उसने आवंटित भूमि पर कब्जा पाने के लिए आवेदन किया था।

(पैरा 14)

भाग सिंह, याचिकाकर्ता के वकील ।
लोकेश सिंहल, अतिरिक्त. ए.जी.हरियाणा।
अरविंद सिंह के वकील अशोक कुमार, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के वकील।

दीपक सिब्बल, जे.

(1) लूतर का पुत्र नाथू राम एक बड़ा भूमि स्वामी था, जिसकी 470 कनाल 3 मरला भूमि ग्राम भीलपुरा, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर में स्थित थी, जिसे पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, 1953 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत अधिशेष घोषित किया गया था भूमि को अधिशेष घोषित करने के बाद, इसे हरियाणा राज्य में निहित कर दिया गया और दिनांक 13.9.1976 के आदेश के तहत, भूमि का एक हिस्सा याचिकाकर्ता को हरियाणा अधिशेष और अन्य क्षेत्र योजना, 1976 (इसके बाद इसे "योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) के उपयोग के तहत आवंटित किया गया। । हालाँकि दिनांक 13.9.1976 के आवंटन आदेश में अधिकारियों को विशेष रूप से ऐसे आवंटन के बारे में याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं भेजी गई थी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब उत्तरदाताओं क्रमांक 5 से 7 ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण किया, तो उसने पूछताछ की और आदेश दिनांक 13.9.1976 (अनुलग्रक पी-1) के माध्यम से उसे भूमि के आवंटन के बारे में पता चला। आवंटन आदेश के बारे में पता चलने पर, उन्होंने तुरंत उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) - सह-आवंटन प्राधिकरण, जगाधरी से संपर्क किया और संबंधित भूमि पर कब्जा मांगा। उनके आवेदन पर उपमंडल अधिकारी (सिविल)- सह-आवंटन प्राधिकरण, जगाधरी द्वारा विचार किया गया, जिन्होंने दिनांक 23.1.1996 (अनुलग्रक पी-2) के आदेश के तहत न केवल याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का कब्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि आगे कदम बढ़ाया और उसका आवंटन ही रद्द कर दिया। उपमंडल अधिकारी (नागरिक)- सह-आवंटन प्राधिकरण, जगाधरी द्वारा पारित आदेश को याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, यमुनानगर के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। कलेक्टर, यमुनानगर ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं पाई और दिनांक 20.5.1997 (अनुलग्रक पी-3) के आदेश के तहत उनकी अपील खारिज कर दी। कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आयुक्त, अंबाला डिवीजन के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने दिनांक 24.8.1999 (अनुलग्रक पी-4) के आदेश के तहत उनके द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और विहित प्राधिकारी, जगाधरी को आदेश दिया कि वे इसे वितरित करें। याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का कब्ज़ा। हरियाणा राज्य ने आयुक्त, अंबाला डिवीजन द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित दिनांक 24.8.1999 के आदेश को चुनौती नहीं दी। हालाँकि, निजी उत्तरदाताओं ने वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके इसे चुनौती दी। इस मामले पर वित्तीय आयुक्त ने विचार किया, जिन्होंने याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि पर कब्ज़ा मांगने में देरी का दोषी ठहराने के बाद, निजी उत्तरदाताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी। वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

(2) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पढ़ा उनकी सक्षम सहायता से केस फ़ाइल करें।

(3) मुख्य मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है कि उसने उसे आवंटित भूमि पर कब्ज़ा पाने के लिए देर से अधिकारियों से संपर्क किया था।

(4) पक्षों के बीच यह स्वीकार किया गया मामला है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को 13.9.1976 के आवंटन आदेश के माध्यम से भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन उसे इस तरह के आवंटन के बारे में सूचित करने के लिए कोई औपचारिक सूचना कभी नहीं भेजी गई थी।

(5) इससे पहले कि मैं मामले को आगे बढ़ाऊं, योजना के नियम 8ए का संदर्भ लेना उचित होगा। इसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:
"8ए। **कब्जे की सुपुर्दगी।** भूमि के आवंटन के बाद, आवंटन प्राधिकारी आवंटी को फॉर्म यू.एस.3 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति तहसीलदार को भेजेगा जो आवंटिती को जमीन का कब्जा देगा, यदि ऐसी भूमि पहले से ही कब्जे में नहीं है

(6) उपरोक्त उद्धृत नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि के आवंटन के बाद, आवंटन प्राधिकारी को आवंटी को फॉर्म यूएस-3 में एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा और उसकी एक प्रति संबंधित तहसीलदार को भी भेजनी होगी। ताकि तहसीलदार आवंटित भूमि पर आवंटी को कब्जा दिला सकें।

(7) यह स्वीकृत स्थिति है कि जैसा कि योजना के नियम 8ए के तहत अपेक्षित है, फॉर्म यूएस-3 में कोई प्रमाण पत्र कभी तैयार नहीं किया गया था और एक बार ऐसा कोई फॉर्म तैयार नहीं किया गया था, तो इसकी एक प्रति भेजने का कोई सवाल ही नहीं था। आवंटी यानी याचिकाकर्ता या संबंधित तहसीलदार को। नतीजतन, तहसीलदार ने याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि पर कब्जा देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में, मैं आयुक्त, अंबाला डिवीजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.8.1999 (अनुलग्नक पी-4) का उल्लेख कर सकता हूं, जिसमें आयुक्त ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि कोई फॉर्म यूएस-3 तैयार नहीं किया गया था और इसलिए, इसे याचिकाकर्ता या संबंधित तहसीलदार को भेजने का कोई सवाल ही नहीं था। आदेश का प्रासंगिक भाग तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:
"इन तथ्यों के सत्यापन के लिए मूल आवंटन पत्रावली भी तलब की गई। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एवं अन्य आवंटियों को दिनांक 13.09.1976 को ग्राम भीलपुरा में

भूमि आवंटित की गई थी। इसी क्रम में यह भी लिखा गया है कि आवंटित को सूचित किया जाए। फाइल को आगे देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके बाद जो कार्यवाही विहित प्राधिकारी द्वारा की जानी थी, वह नहीं की गई। न तो कोई फॉर्म यूएस-3 तैयार किया गया और न ही कभी याचिकाकर्ता को भेजा गया और उसकी एक प्रति तहसीलदार हल्का को भी भेजनी थी, वह भी नहीं भेजी गई।"

(8) रिकॉर्ड से पता चलता है कि 470 कनाल 3 मरला भूमि के आवंटन के लिए आवंटन प्राधिकरण को 408 आवेदन प्राप्त हुए थे। संभव है कि याचिकाकर्ता को लगा हो कि उसका आवेदन खारिज कर दिया गया है. अन्यथा भी, याचिकाकर्ता, जिसे वर्ष 1976 में एक गरीब भूमिहीन हरिजन बताया गया है, उचित रूप से उम्मीद कर सकता था कि उसके आवेदन पर विचार करने पर, उसे कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है और इसलिए अपने चप्पू को आराम देते हुए आगे कोई पूछताछ नहीं की फिर भी राज्य या निजी उत्तरदाताओं द्वारा मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को किसी भी पूर्व समय पर उसे भूमि आवंटित करने के आदेश की जानकारी थी ताकि देरी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके।

(9) अब यह देखने की आवश्यकता है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा देर से दायर आवेदन ने किसी के पूर्वाग्रह के तहत काम किया है। निजी उत्तरदाताओं ने न तो वर्तमान याचिकाकर्ता को कोई लिखित बयान दाखिल किया है और न ही मेरे सामने एक भी शब्द बोला है, जिससे यह पता चले कि उन्हें आवंटित भूमि पर कब्ज़ा मांगने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने में याचिकाकर्ता की ओर से हुई देरी के कारण उनके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। हरियाणा राज्य भी याचिकाकर्ता द्वारा उसे आवंटित भूमि पर कब्ज़ा मांगने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने में देरी के कारण राज्य पर हुए किसी भी पूर्वाग्रह को इंगित करने में असमर्थ है। हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह स्वीकार किया गया कि विचाराधीन भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई है। इसके अलावा, आयुक्त, अंबाला डिवीजन द्वारा पारित दिनांक 24.8.1999 का आदेश, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में था, को हरियाणा राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। इस प्रकार, जहां तक [illegible] **राज्य के लिए अंतिम बन गया, आयुक्त ने निम्नानुसार देखा:**

"फ़ाइल के आगे अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी कार्यवाही निर्धारित प्राधिकारी द्वारा की जानी थी, वह नहीं की गई। न तो कोई फॉर्म यूएस-3 तैयार किया गया था और न ही याचिकाकर्ता को कभी भेजा गया था और इसकी एक प्रति भी हल्का तहसीलदार को नहीं भेजि है। इस प्रकार से रिकॉर्ड के अवलोकन से, याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क साबित होता है कि उनके मुवक्किल को कभी भी कब्जा लेने की

पेशकश नहीं की गई थी और न ही उसे कोई निर्देश भेजा गया था कि उसे कितनी राशि और किस तारीख को जमा करनी है। वैसे भी योजना के अनुसार आवंटी को कब्जा मिलने के 30 दिन के भीतर किस्त जमा करनी होती है। जब याचिकाकर्ता को कब्जा लेने की पेशकश नहीं की गई तो उसके द्वारा किश्त जमा न करने से मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आवंटन केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब आवंटी ने प्रस्ताव के बाद 7 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया, जो कि नहीं किया गया है इसके अलावा मैं एलडी के इस तर्क से भी सहमत हूं. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आवंटन प्राधिकारी के पास आवंटन रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है, जैसा कि 1990 पीएलजे पृष्ठ 585 में उल्लेखित है। अब तक प्रतिवादियों के वकील का तर्क है कि विवाद में भूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसका आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इसके कारण आवंटन रद्द किया जाएगा क्योंकि वन विभाग के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए पेड़ों की योजना बनानी होगी, चाहे कोई भी मालिक हो और अवधि समाप्त होने के बाद वे इसे छोड़ देते हैं। इसके अलावा पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है और जो कानूनी कार्यवाही विहित प्राधिकारी द्वारा की जानी थी, वह उनके द्वारा नहीं की गयी। अत: कोई कार्यवाही न होने से याचिकाकर्ता का हित प्रभावित नहीं हो सकता। मुझे आईडी के इस तर्क में भी कोई दम नजर नहीं आया। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील समयबाधित थी क्योंकि कलेक्टर ने परिसीमा बिंदु पर अपना निर्णय नहीं दिया है और न ही उनके सामने ऐसा कोई विवाद उठाया गया था और कलेक्टर ने इस मामले का फैसला गुण और दोष के आधार पर किया है। इन परिस्थितियों में, मैं एलडी के तर्कों से सहमत हूं। याचिकाकर्ता के वकील ने संशोधन को छोड़कर, पुनरीक्षण के तहत आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को निर्धारित प्राधिकारी जगाधरी को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि वह कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में फॉर्म यूएस -3 जारी करके आगे की कार्यवाही करें।"

(जोर मेरे द्वारा दिया गया)

(10) एक बार उपरोक्त आदेश जिसमें यह माना गया है कि राज्य प्राधिकारी याचिकाकर्ता को आवंटन आदेश के बारे में सूचित करने के साथ- साथ उसे कब्ज़ा देने के लिए कार्यवाही शुरू न करने के संबंध में प्रक्रिया का पालन करने के अपने कर्तव्यों में बुरी तरह विफल रहे। राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और निजी उत्तरदाताओं ने न तो दलील दी है और न ही उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह दिखाया है, मैं याचिकाकर्ता की ओर से देरी को नजरअंदाज करना उचित समझता हूं, हालांकि एक शर्त के साथ जिसका उल्लेख मैं इस निर्णय बाद के भाग में करूंगा

(11) याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा है जो स्वीकृति के योग्य है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसने आवंटित भूमि पर कब्जे का दावा करते हुए आवंटन प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय, आवंटन प्राधिकरण ने न केवल याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि पर कब्जा करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसका आवंटन भी रद्द कर दिया। यह तर्क दिया गया कि आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन रद्द करना आवंटन के पहले के आदेश की समीक्षा के समान है जो नहीं किया जा सकता था क्योंकि आवंटन प्राधिकारी के पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी।

(12) यह स्थापित कानून है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग एक प्राधिकरण द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जहां एक क़ानून इसके लिए प्रावधान करता है। मौजूदा मामले में, अधिनियम आवंटन प्राधिकारी को अपने आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता का आवंटन रद्द करने का आवंटन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भी इस कानूनी दोष से ग्रस्त है। यह भी देखा जा सकता है कि न तो राज्य और न ही निजी उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन पर कभी सवाल उठाया था।

(13) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने मेरे ध्यान में लाया है कि याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का एक हिस्सा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (इसके बाद "पीएलपीए अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 और 4 के तहत अधिसूचित किया गया था। ") 15 वर्षों के लिए और इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि अब यह भूमि याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं की जा सकती। मेरे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर, मुझे सूचित किया गया कि पीएलपीए अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 16.9.1990 थी और जैसा कि ऊपर देखा गया था, केवल 15 वर्षों की अवधि के लिए थी। 15 वर्ष की अवधि 16.9.2005 को समाप्त हो गई है और अवधि बढ़ाने की कोई अधिसूचना नहीं है मुझे दिखाए जाने के बाद, मैं राज्य की इस आपत्ति पर विचार करता हूं और इसे अस्वीकार करता हूं

(14) उपरोक्त के मद्देनजर, आदेश दिनांक 8.8.2000 (अनुलग्नक पी-5), 20.5.1997 (अनुलग्नक पी-3) और 23.1.1996 (अनुलग्नक पी-2) को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अब याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि का कब्जा सौंपने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ें। आवंटित भूमि पर कब्ज़ा मांगने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारियों से संपर्क करने में ढिलाई के कारण, मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण, मैं यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि याचिकाकर्ता को अब आवंटन

आदेश दिनांक 13.9.1976 (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार भूमि आवंटित की जाए लेकिन कलेक्टर द्वारा उस तारीख को निर्धारित प्रचलित दर पर जब उसने आवंटित भूमि पर कब्जा पाने के लिए आवेदन किया था।

(15) उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(16) कोई लागत नहीं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Prerna arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh